[2021] 1 एस. सी. आर 721

प्रवर्तन निदेशक, भारत सरकार

बनाम.

कपिल वधावन और ए. एन. आर. ईटीसी।

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 701-702)

23 फरवरी, 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.167 (2) (ए) (ii)-पूर्वनिर्धारित जमानत-90 दिनों या 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय जारी की जाती है या नहीं, जैसा कि अनुभागों में विचार किया गया है।167 (2) (क) (ii) सी. आर. पी. सी., डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड के दिन को शामिल या बाहर किया जाना है-डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए कानून के प्रस्ताव पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण, एक न्यायिक पहेली पैदा हो गई है जिसे अदालत के मार्गदर्शन के लिए हल करने की आवश्यकता है-मुद्दा जिसे बड़ी पीठ को भेजा जाता है-जमानत।

एम**.** पी**.** बनाम राज्यरुस्तम और ओआरएस। **1995 (**पूरक**) 3** एस**.** सी**.** सी**. 221;** रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य **(2015) 8** एस**.** सी**.** सी**. 340:[2015] 2** एस**.** सी**.** आर**. 241;** एम**.** रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी**,** राजस्व खुफिया निदेशक **(2020)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 867;** चगंती सत्यनारायण बनाम राज्य आंध्र प्रदेश (1986) 3 एससीसी 141:[1986] **2** एस**.** सी**.** आर**. 1128;** सी**.** बी**.** आई बनाम अनुपम जे**.** कुलकर्णी **(1992) 3** एस**.** सी**.** सी**. 141:[1992] 3** एससीआर **158;** राज्य बनाम मोहम्मद।अश्राफ्ट भट (1996) 1 एससीसी 432: [1995] 6 पूरक।एस. सी. आर. 300 राज्य महाराष्ट्र बनाम भारती चंदमल वर्मा **(2002) 2** एससीसी 121:[2001] 5 पूरक।एस. सी. आर. 422; प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2011) 10** एससीसी **445: [2011] 14** एस**.** सी**.** आर**. 617-**संदर्भित।

1995 (पूरक**) 3** एस**.** सी**.** सी**. 221** निर्दिष्टपैरा **5**

[2015] 2 एससीआर **241** संदर्भित किया गया है पैरा **5**

[1986] 2 एससीआर **1128** संदर्भित किया गया है पैरा **5**

[1992] 3 एससीआर **158** संदर्भित किया गया है पैरा **6**

[1995] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 300** संदर्भित पैरा **6** ए

[2001] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 422** को संदर्भित किया गया पैरा **6**

[2011] 14 एससीआर **617** संदर्भित किया गया है पैरा **6**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील नंबर :701-702।

2020 के एल. डी. वी. सी. जमानत आवेदन संख्या 400 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.08.2020 से।

सूर्य प्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., जोहेब हुसैन, सुश्री साइरिका राजू, ए. वेंकटेश, गुंटूर प्रमोद कुमार, सुश्री ज़ील शाह, विवेक गुरनानी, अग्नि सेन, राजन के. चौरसिया, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अमित देसाई, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, रोहन दक्षिण, सुश्री आकांक्षा सक्सेना, शुभम कुलश्रेष्ठ, सुश्री तन्वी मनचंदा, ई. सी. अग्रवाल, सारद कुमार सिंघानिया, अमित के. नैन, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सीआरपीसी") की धारा 167 (2) (ए) (ii) के तहत प्रतिवादियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई है।प्रतिवादियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध के कथित अपराध के लिए 14.05.2020 पर गिरफ्तार किया गया था और उसी तारीख को रिमांड पर लिया गया था।11.07.2020 पर ई-मेल के

माध्यम से, प्रवर्तन निदेशालय ने एक शिकायत दायर की और बाद में 13.7.2020 पर, यानी सोमवार को, इसकी एक भौतिक प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।जमानत बढ़ाने के लिए आवेदन सुबह 8:53 बजे 13.07.2020 पर स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें भौतिक फाइलिंग टोकन सुबह 11 बजे तक जारी किया गया था।

2. प्रत्यर्थियों द्वारा यह दावा किया गया कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों की अवधि यानी 14.5.2020,12.7.2020 (रविवार) को समाप्त हो गई और अगले दिन, जमानत याचिका अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।विद्वान विशेष न्यायाधीश ने हालांकि यह विचार रखते हुए प्रतिवादियों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया कि पहली रिमांड की तारीख को छोड़कर 60 दिनों की गणना 15.7.2020 से करनी होगी।हालांकि, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के तहत महसूस किया कि 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय रिमांड की पहली तारीख को छोड़ना गलत था और यह अभिनिर्धारित किया कि ईडी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के 61 वें दिन होने के कारण, उत्तरदाताओं को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा।उच्च न्यायालय के इस आदेश पर 3.9.2020 पर रोक लगा दी गई थी।

3. विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) (ए) (ii) में विचार किए गए 90 दिनों या 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय, डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड के दिन को शामिल या बाहर रखा जाना है।

4. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में विवादास्पद प्रश्न पर विचार किया गया है, लेकिन इस बात पर मतभेद है कि जांच को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवधि की गणना कैसे की जाए।कुछ निर्णयों ने रिमांड की तारीख को हटाने का समर्थन किया है, जबकि कुछ अन्य मामलों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

5. अपीलार्थी अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में तर्क की रेखा पर भरोसा करते हैं एमपी. बनाम रुस्तम और अन्य। 1, रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य 2 और एम. रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व निदेशक खुफिया जानकारी 3 जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

जाँच को पूरा करने के लिए अनुमत अवधि की गणना करने के लिए रिमांड की तारीख को बाहर रखा जाना है।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाता अन्य बातों के साथ-साथ इस पर भरोसा करना चाहते हैं -चगंती सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 4, सी. बी. आई. बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी 5, राज्य बनाम मोहम्मद।अश्राफ्ट भट 6, महाराष्ट्र राज्य बनाम भारती चंदमल वर्मा 7, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 8 को ध्यान में रख कर तर्क प्रस्तुत किया कि डिफ़ॉल्ट जमानत की पात्रता निर्धारित करने के लिए जांच के लिए उपलब्ध अवधि की गणना करने के लिए रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए।

7. डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए कानून के प्रस्ताव पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण, एक न्यायिक पहेली उत्पन्न हुई है जिसे न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए हल करने की आवश्यकता है। चगंती मामले में, न्यायालय ने जांच के शीघ्र समापन के लिए विधायी इरादे और जांच को समाप्त करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के परिणामों की जांच की। स्वीकृत अवधि के भीतर। हालाँकि, चगंती मामले में और मोहम्मद अशरफ भट्ट के मामले को. में भी न्यायाधीशों की पीठ के ध्यान में नहीं लाया गया था और एम रवींद्रन के मामले को भी न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया और अदालत ने यह घोषणा करते हुए एक विपरीत विचार लिया कि रिमांड की तारीख को जांच की अवधि की गणना के लिए बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि एक आरोपी द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे को सुविधाजनक बनाया जा सके।

8. चूँकि कानून की पूर्व स्थिति पर विचार नहीं किया गया था और नवीनतम निर्णय 3 न्यायाधीशों की पीठ का है, इसलिए उचित संख्या वाली पीठ के लिए पहले के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए कानून का निपटारा करना आवश्यक है।जब तक इस मुद्दे को उचित रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक देश भर की अदालतें इस मुद्दे पर निर्णय ले सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा निर्णय अदालत के संज्ञान में लाया जाता है या अदालत की अपनी समझ पर, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) (ए) II के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत शामिल है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम उपरोक्त मुद्दे को इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को इस विचारों के टकराव को रोकने के लिए एक आधिकारिक निर्णय के लिए संदर्भित करना उचित समझते हैं क्योंकि यह न्यायालयों को कानून को समान रूप से लागू करने में सक्षम बनाएगा।

10. तदनुसार, हम रजिस्ट्री को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के मुद्दे पर कानून में टकराव को हल करने के लिए कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं।

11. इस बीच, जैसा कि प्रतिवादी ,उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस पर 3.9.2020 पर रोक लगा दी गई थी, इस मामले को प्रत्यर्थियों के लिए अंतरिम अनुरोध पर विचार करने के लिए निकट तिथि पर 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए।

बिभूति भूषण बोस मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

1 1995 (पूरक) 3 एस. सी. सी. 221

2 (2015) 8 एस. सी. सी. 340

3 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 867

4 (1986) 3 एस. सी. सी. 141

5 (1992) 3 एस. सी. सी. 141

6 (1996) 1 एस. सी. सी. 432

7 (2002) 2 एस. सी. सी. 121

8 (2011) 10 एस. सी. सी. 445

9 ऊपर टिप्पणी 4।

10 आई. बी. आई.

11 ऊपर टिप्पणी 6.

12 सुप्रा नोट 3.